अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम परामर्श प्राधिकरण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

दूरभाष : 0755 – 2678 833 फैक्स : 0755 – 2678 834, वेबसाईट : www.rgtu.net

मध्यप्रदेश के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्यक्रम

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **WP** 11739/2008 में दिनांक 12.11.2008 को निर्णय देते हुए, प्रवेश नियम 2008 में किसी अभ्यार्थी द्वारा अपना पूर्व प्रवेश निरस्त करवाने के पश्चात पुनः काउंसलिंग के आगामी चरणों में उपस्थित होने के प्रावधानों को निरस्त करते हुए यह आदेशित किया था कि, ऐसे समस्त अभ्यार्थियों जिन्होंने अपना पूर्व प्रवेश निरस्त करवा लिया था, को उनकी पूर्व प्रवेशित संस्था आवंटित की जाए एवं यदि उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई हो तो न्यायालय से दिशा–निर्देश लिए जाएं ।

अभियांत्रिकी पाठ्यकम परामर्श प्राधिकरण के द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक 12.11.2008 के उपरोक्त निर्णय के संबंध में दिशा–निर्देश मांगे । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2008 को RP 21/2008 में दिए गए निर्देशानुसार, ऐसे समस्त अभ्यार्थी जिन्हें उनकी पूर्व आवंटित संस्था में प्रवेश दिया जाना सीटों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है, को पुनः काउंसलिंग के माध्यम से नई संस्था में प्रवेश लेने की पात्रता होगी । इस आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने प्रवेश हेतु काउंसलिंग की तिथि को भी दिनांक 13.12.2008 तक बढ़ा दिया है ।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के परिपालन में मध्यप्रदेश के अभियांत्रिकी पाठ्यकमों में 25 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रह गई एवं ड्राप आउट सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु आगामी चरण की काउंसलिंग निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी :–

अ. दिनांक 05.12.2008 से दिनांक 06.12.2008 तक

1. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने दिनांक 25.09.2008 को सम्पन्न हुई काउंसलिंग के माध्यम से किसी संस्था को आवंटित कराने के पश्चात :
   (i) अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया था अथवा
   (ii) प्राधिकरण द्वारा संस्था में उपस्थित न होने के कारण उनका प्रवेश निरस्त कर दिया था

   एवं जो अब पुनः काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, तो ऐसे अभ्यार्थियों को दिनांक 05.12.2008 को **यू.आई.टी. –आर.जी.पी.वी., एयर पोर्ट, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल** में प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक उपस्थित होना होगा । दिनांक 05.12.2008 को ऐसे अभ्यार्थी अपना आवेदन जमा करेंगे, जिन्हें दिनांक 06.12.2008 को यह सूचित किया जाएगा कि उन्हें पूर्व प्रवेशित संस्था आवंटित की जा सकती है अथवा नहीं
2. यदि किसी संस्था में वर्तमान रिक्त सीटों की संख्या पूर्व प्रवेशित अभ्यार्थियों, जिनका प्रवेश निरस्त हो गया है एवं जो पुनः काउंसलिंग में आना चाहते हैं, की संख्या से कम है, तो अभ्यार्थियों को उनकी योग्यता कम (Merit) के आधार पर पूर्व प्रवेशित संस्था आवंटित की जाएगी ।
3. यदि पूर्व प्रवेशित संस्था में सीट रिक्त न रह जाने के कारण, किसी अभ्यार्थी को पूर्व प्रवेशित संस्था आवंटित नहीं की जा सकती है, तो उन्हें दिनांक 07.12.2008 से दिनांक 08.12.2008 तक पी0ई0पी0टी0 – 2008 परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में शामिल होने की पात्रता होगी ।
4. ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें उपरोक्तानुसार पूर्व आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, उन्हें दिनांक 07.12.2008 से दिनांक 13.12.2008 तक आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी ।

ब. दिनांक 07.12.2008 से दिनांक 08.12.2008 तक पी.ई.पी.टी.–2008 परीक्षा के माध्यम से

पी.ई.पी.टी.–2008 परीक्षा में बैठे ऐसे समस्त अभ्यार्थी जिन्होंने किसी कारणवश दिनांक 25.09.2008 को सम्पन्न हुई काउंसलिंग के माध्यम से :

(i) कोई भी संस्था आवंटित नहीं करवाई थी अथवा

(ii) प्रवेश लेने के उपरांत अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया था एवं जिन्हें उपरोक्त बिन्दु – अ की कंडिका – 3 के अनुसार पूर्व प्रवेशित संस्था एवं ब्रांच आवंटित की जाना संभव नहीं है,

हेतु आगामी चरण की काउंसलिंग तालिका कमांक–2 में दिए गए कार्यक्रम अनुसार निम्नांकित तालिका कमांक–1 के अनुसार नियत काउंसिलिंग सेंटर पर आयोजित की जाएगी ।

तालिका कमांक 1 – काउंसिलिंग केन्द्र

शहरों के नाम जहाँ से उम्मीदवारों ने पी.ई.पी.टी. – 2008 की परीक्षा दी है	ऑन लाइन काउंसिलिंग केन्द्र
भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, राजगढ़, विदिशा, रीवा, सतना सागर।	यू.आई.टी.–आर.जी.पी.वी., एयर पोर्ट, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल
जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, शहडोल, सिवनी।	जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज,रांझी, गोकुलपुर, जबलपुर
देवास, धार, इन्दौर, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम।	एस.जी.एस.आई.टी.एस., 23 – पार्क रोड, इन्दौर
ग्वालियर, गुना ।	एम.आई.टी.एस., – गोला का मंदिर, ग्वालियर

नोट – विशेष ध्यान दें कि यह काउंसलिंग रीवा काउंसलिंग केन्द्र में आयोजित नहीं की जा रही है ।

तालिका कमांक 2 – काउंसिलिंग कार्यकम

दिनांक/दिन	श्रेणी	समय	पी.ई.पी.टी.–2008 मे प्राप्तांक	
			कहां से	कहां तक
07.12.2008 रविवार	अनुसूचित जनजाति के समस्त उम्मीदवार (ST) (X/S/FF/PH/TS) (OP&F)	प्रातः 8.30 बजे	200.00	0.00
	अनुसूचित जाति के समस्त उम्मीदवार (SC) (X/S/FF/PH/TS) (OP & F)	प्रातः 9.30 बजे	200.00	0.00
	अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त उम्मीदवार(OBC) (X/S/FF/PH/TS) (OP & F)	प्रातः 11 बजे	200.00	0.00
	अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग को छोड़कर अन्य समस्त वर्गों के महिला एवं ओपन कम्पार्टमेंट के उम्मीदवार (UR) (S/FF/TS/PH) (F/OP)	मध्यान्ह 12 बजे	200.00	0.00
	अनारक्षित श्रेणी के समस्त उम्मीदवार (UR) (X/S/FF/PH/TS) (OP & F)	अपरान्ह 1 बजे	200.00	80.00
	अनारक्षित श्रेणी के समस्त उम्मीदवार (UR) (X/S/FF/PH/TS) (OP& F)	अपरान्ह 3.30 बजे	79.99	75.00
08.12.2008 सोमवार	अनारक्षित श्रेणी के समस्त उम्मीदवार (UR) (X/S/FF/PH/TS) (OP& F)	प्रातः 9 बजे	74.99	60.00
	अनारक्षित श्रेणी के समस्त उम्मीदवार (UR) (X/S/FF/PH/TS) (OP & F)	अपरान्ह 1.00 बजे	59.99	0.00

स. दिनांक 10.12.2008 से 11.12.2008 तक ए.आई.ई.ई.ई.–2008 परीक्षा के प्राप्तांकों के माध्यम से

1. दिनांक 08.12.2008 को पी0ई0पी0टी0–2008 परीक्षा के माध्यम से समाप्त काउंसलिंग के पश्चात यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें ए.आई.ई.ई.ई.–2008 परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर भरा जाएगा । जिसके लिए अभ्यार्थियों को पृथक से दिनांक 09.12.2008 के सांय 5.30 बजे तक पंजीयन करना आवश्यक होगा । समय के अभाव के कारण अभ्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि, पंजीयन फार्म प्राधिकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचाएं। डाक द्वारा भेजे गए पंजीयन फार्म प्राधिकरण कार्यालय में ससमय प्राप्त न होने की स्थिति में पंजीयन फार्म के संबंध में डाकघर की पावती, बैंक ड्राफ्ट की रसीद, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद इत्यादि प्रमाण मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे अभ्यार्थी को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
2. इच्छुक अभ्यार्थियों को रू. 500.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, ईसीसीए के नाम से भोपाल में देय होगा, पंजीयन फार्म के साथ जमा करना होगा । पंजीयन हेतु एक सादे कागज़ पर अपने फोटोग्राफ एवं ए.आई.ई.ई.–2008 परीक्षा के स्कोर कार्ड की छायाप्रति के साथ निम्न जानकारी : अभ्यार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, फोन एवं मोबाईल नम्बर, ए.आई.ई.ई.ई. रोल नम्बर एवं प्राप्तांक तथा ड्राफ्ट का विवरण देवें। आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rgtu.net पर भी उपलब्ध है।
3. ए.आई.ई.ई.ई. – 2008 परीक्षा के आधार पर प्रवेश केवल उसी स्थिति में होगा, जबकि दिनांक 08.12.2008 की काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रह जाती हैं। सीटें रिक्त न रहने की स्थिति में अथवा आपकी बारी आने पर सीटें रिक्त न रहने की स्थिति में पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।
4. ए.आई.ई.ई.ई.–2008 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्यक्रम दिनांक 09.12.2008 को सांय 6 बजे के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।
5. ए.आई.ई.ई.ई.–2008 परीक्षा के प्राप्तांकों के माध्यम से दिनांक 10.12.2008 से 11.12.2008 तक आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग केवल **यू.आई.टी.–आर.जी.पी.वी., एयर पोर्ट, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल में सम्पन्न होगी** ।
6. जिन अभ्यार्थियों ने प्राधिकरण के दिनांक 31.07.2008 को प्रकाशित सूचना पर, अगस्त माह में मध्यप्रदेश के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की अखिल भारतीय सीटों के लिए आयोजित काउंसलिंग में शामिल होने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु उस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें भी पुनः पंजीयन शुल्क के साथ नया पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
7. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने अक्टूबर, 2008 में इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आगामी चरणों की काउंसलिंग की सूचना पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था को पुनः पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश के कारण यह काउंसलिंग सम्पन्न नहीं हो सकी थी । तदापि ऐसे अभ्यार्थी को बिना पंजीयन शुल्क के पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन दिनांक 09.12.2008 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें उनके द्वारा अक्टूबर, 2008 माह में भेजे गये रू. 500.00 के बैंक ड्राफ्ट की जानकारी भी दर्शित हो । उपरोक्त के आभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
8. ए.आई.ई.ई.ई.–2008 में नेगेटिव कुलांक प्राप्त अभ्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे ।

द दिनांक 12.12.2008 से दिनांक 13.12.2008 तक 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा के माध्यम से

1. दिनांक 11.12.2008 को ए.आई.ई.ई.ई.–2008 परीक्षा के प्राप्तांकों आधार पर सम्पन्न हुई काउंसलिंग के पश्चात यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा (भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ) के प्राप्तांकों के आधार पर भरा जाएगा, जिसके लिए अभ्यार्थियों को पृथक से दिनांक 11.12.2008 के सांय 5.30 बजे तक पंजीयन करना आवश्यक होगा । समय के अभाव के कारण अभ्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि पंजीयन फार्म प्राधिकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचाएं। डाक द्वारा भेजे गए पंजीयन फार्म प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त न होने की स्थिति में पंजीयन फार्म के संबंध में डाकघर की पावती, बैंक ड्राफ्ट की रसीद, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट की रसीद इत्यादि प्रमाण मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे अभ्यार्थी को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
2. इच्छुक अभ्यार्थियों को रू. 500.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, ईसीसीए के नाम से भोपाल में देय होगा, पंजीयन फार्म के साथ जमा करना होगा । पंजीयन हेतु एक सादे कागज़ पर अपने फोटोग्राफ एवं 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति के साथ (अंकसूची के दोनों तरफ की छायाप्रति अवश्य लगाएं) निम्न जानकारी : अभ्यार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, फोन एवं मोबाईल नम्बर, 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा का रोल नम्बर, प्राप्तांक एवं कुलांक तथा ड्राफ्ट का विवरण देते हुए, आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजें। आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgtu.net पर भी उपलब्ध है।
3. 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर प्रवेश केवल उसी स्थिति में होगा, जबकि दिनांक 11.12.2008 की काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रह जाती हैं। सीटें रिक्त न रहने की स्थिति में अथवा आपकी बारी आने पर सीटें रिक्त न रहने की स्थिति में पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।
4. 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्यक्रम दिनांक 11.12.2008 को सांय 6 बजे के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgtu.net पर उपलब्ध रहेगा।
5. 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु काउंसलिंग केवल **यू.आई.टी.–आर.जी.पी.वी., एयर पोर्ट, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल में सम्पन्न होगी।**

नोट :

1. इस चरण की काउंसलिंग में प्रवेशित छात्र यदि विलंब से प्रवेश के कारण संबंधित विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों के अनुरूप यदि न्यूनतम उपस्थिति की वैधानिक आवश्यक्ता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं एवं ऐसी स्थिति में उन्हें न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाता है तो इसके लिए अभियांत्रिकी पाठ्यकम परामर्श प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा । अतः इस चरण की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने से पूर्व अभ्यार्थी उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत काउंसलिंग में शामिल होना तय करें ।
2. उम्मीदवारों को काउंसलिंग के समय अपने साथ पी.ई.पी.टी.–2008 नियम पुस्तिका की कंडिका 2.7.2 में उल्लेखित समस्त आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज (निर्धारित प्रपत्र में) एवं उनकी दो–दो छाया–प्रतियां, स्वयं की दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियमानुसार अग्रिम फीस एवं काउंसिलिंग फीस के भुगतान के रूप में कमशः रू. 9,500/–(नौ हजार पॉच सौ रूपये) एवं रू. 500/– (पॉच सौ रूपये) के दो बैंक ड्राफ्ट जो कि, सचिव, ई.सी.सी.ए. भोपाल के नाम से भोपाल में देय हो लाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी मध्यपदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को फीस की अग्रिम राशि का ड्राफ्ट देय नहीं है, अतः उन्हें कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं लाना है, इन अभ्यार्थियों को ए.आई.ई.ई.ई.–2008 एवं 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा के माध्यम से होने वाली काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क भी देय नहीं होगा, अतः मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी मध्यपदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यार्थी यदि दिनांक 10.12.2008 से 13.12.2008 तक आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र के साथ पी.ई.पी.टी.–2008 नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में, मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा, इन प्रमाण पत्रों के आभाव में पंजीयन शुल्क जमा करना आवश्यक होगा ।
3. पी.ई.पी.टी. - 2008 की नियम पुस्तिका के अध्याय दो एवं तीन में दिये गये प्रवेश नियमों का कृपया ध्यान से अध्ययन कर लें। मात्र व्यापम द्वारा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं परीक्षा परिणाम घोषित होने से अथवा ए.आई.ई.ई.ई. –2008 अथवा कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने से आपकी किसी विशेष श्रेणी/वर्ग में पात्रता सिद्ध नहीं होती हैं, अनावश्यक असुविधा से बचने के लिये आपको सलाह दी जाती है कि पी.ई.पी.टी.–2008 नियम पुस्तिका में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप आप अपनी पात्रता का सूक्ष्म परिक्षण कर लेवें। यदि आप पी.ई.पी.टी.–2008 नियम पुस्तिका में दिए गए आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको काउंसलिंग में अपात्र घोषित कर दिया जावेगा एवं आप प्रवेश का अवसर खो देंगे, जिसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अभ्याार्थियों की सुविधा के लिए दिनांक 05.12.2008 से 13.12.2008 तक आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।
4. इस चरण की काउंसलिंग हेतु पृथक से काल लेटर जारी नहीं किए जाएंगे ।
5. काउंसलिंग हेतु अभ्यार्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है ।
6. यदि कोई अभ्यार्थी उसके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताकम अनुसार पाठ्यकम/संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा। यद्यपि बाद में काउंसलिंग की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के विरूद्ध अभ्यार्थी की योग्यता अनुसार प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
7. उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय होने वाली परेशानियों की आशंका को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि अपने पिछले पांच वर्षो के अध्ययन से संबंधित अंकसूचियां एवं अपने विभिन्न प्रमाण पत्रों की सत्यता प्रमाणित करने हेतु हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज काउंसलिंग के समय लाएं।
8. इस काउंसलिंग हेतु उपलब्ध सीटों की संस्था, ब्रांच एवं श्रेणीवार अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgtu.net पर उपलब्ध रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग केन्द्र पर आने के पूर्व इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें।
9. इस चरण की काउंसलिंग में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की सीटें रिक्त होने की स्थिति में उन्हें पी.ई.पी.टी. – 2008 नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अन्य श्रेणियों में परिवर्तन किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि विभिन्न आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में सीटों के संभावित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग में शामिल होने के संबंध में निर्णय लें।
10. यह काउंसलिंग रिक्त सीटों के उपलब्ध होने की स्थिति तक ही आयोजित की जाएगी । यदि समस्त सीटें भर जाती हैं तो आगे की काउंसलिंग निरस्त कर दी जाएगी । आपकी पारी में आपके लिए सीट रिक्त न रहने की स्थिति में प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयानुसार काउंसलिंग दिनांक 13.12.2008 तक समाप्त की जानी है । समय के अभाव में प्रतिदिन बुलाए गए अभ्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है । अतः ऐसी प्रबल संभावना रहेगी कि काउंसलिंग देर रात तक या आगामी दिवस तक निरन्तर रहे । अतः अभ्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग हेतु दो दिवस रूकने की तैयारी के साथ उपस्थित हों।
12. विशेष ध्यान दें कि अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए एक अभ्यार्थी के साथ केवल एक ही पालक काउंसलिंग में उपस्थित होवें ।
13. ऐसे सभी अभ्यार्थी, जिन्होंने त्रुटिवश पी.ई.पी.टी. – 2008 परीक्षा के फार्म भरते समय अपनी श्रेणी/वर्ग इत्यादि गलत अंकित कर दिये थे, को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग के समय अपने प्राप्तांको/श्रेणी/वर्ग के आधार पर समय–सारणी में निर्धारित तिथि एवं केन्द्र पर अपने सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते है, ऐसे सभी अभ्यार्थियों के प्रमाण–पत्र सही पाये जाने की स्थिति में उनकी श्रेणी/वर्ग इत्यादि में तदनुसार काउंसलिंग के समय ही परिवर्तन किया जा सकेगा।

सचिव